राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः– प. 13(20)कार्मिक/क–2/91पार्ट जयपुर, दिनांकः18–9–07

1. समस्त शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ट सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित) ।

परिपत्र

विषयः– अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय जनजातियों व सहरिया क्षेत्र में सहरिया आदिम जाति हेतु किये गये आरक्षण आदेशों की पालना सुनिश्चित करने बाबत् ।

कार्मिक विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12.9.07 के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र (जनजाति उपयोजना) में होने वाली सीधी भर्ती में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए क्रमशः 45 प्रतिशत और 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है ।

इसी प्रकार इस विभाग के समसंख्यक निर्देश दिनांक 12.9.07 के द्वारा बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों की स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर 25 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है ।

अतः अधिसूचना/निर्देश की प्रतियां संलग्न करते हुए सभी संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि कृपया उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें ।

(लोकनाथ सोनी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा,जयपुर ।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
5. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर ।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।

शासन उप सचिव